फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री कन्हैयालाल
किस्म मुकदमा :– 88–188 R.T.A.

विपक्षी :– श्री हीरालाल
पत्रावली संख्या :– 209 / 13 (वाद)
GCMS NO : 2013/00054

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.01.2025 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. का जवाब पेश किया। शामिल फाईल रहे। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र धारा 10 जा.दी. की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा उक्त घोषणा का वाद दिनांक 13.10.2009 को प्रस्तुत कर अनरजिस्टर्ड ईकरारनामें के आधार पर घोषणा चाही गई थी। इसी ईकरारनामें की पालना हेतु स्वयं वादी द्वारा श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय उदयपुर के यहां एक अन्य वाद पेश किया। उक्त दोनो वाद में वादी द्वारा समान पक्षकार बनाये गये है तथा दोनो वाद में समान दस्तावेज ईकरारनामें के आधार पर पेश किये गये हैं। तत्पश्चात स्वयं वादी इस वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. एवं सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर इस वाद पर की जाने वाली कार्यवाही को स्टे करवाना चाहता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी को भली भांति ज्ञात है कि अनरजिस्टर्ड ईकरारनामें के दस्तावेज के आधार पर वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। इसलिए वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में ईकरारनामें की पालना हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया हैं। फिर भी वादी इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस वाद की कार्यवाही को स्थगित करवाकर वाद को जारी रखना चाह रहा हैं जिससे प्रतीत होता है कि वादी न्यायालय का बहुमूल्य समय जाया करना चाहता हैं। **इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLW 2009 (1) RJ Page 343 में भी स्पष्ट किया गया है कि "अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना–अभिनिर्धारित–अपंजीकृत करार के आधार पर दायर वाद को सुनने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं हैं और न ही अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित किये जा सकते। इस आधार पर अधिकार एवं**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:14 IST
Reason: SelfAttested

स्वतः साबित करने के लिए अधिकारिता सिविल न्यायालयों में निहित हैं। अतः विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ वाद लाना ही होगा।'' इस प्रकरण में भी वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड ईकरारनामें के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया हैं और इसी सम्बन्ध में ईकरारनामें की पालना हेतु सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकार सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि बाबत् वादी के अधिकार तय किये जा सकेगें। अतः अनरजिस्टर्ड ईकरारनामें के आधार पर वादी द्वारा राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10, 10(क) के तहत् वाद पत्र सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वाद पत्र की मूल प्रति वादी अथवा वादी के अधिवक्ता को सिपूर्द कर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:30:14 IST
Reason: SelfAttested